

is no difference in the basis or fixation of the rate for English and Hindi newspapers.

(d) Increase in circulation of a newspaper is one of the factors taken into consideration in fixing its advertisement rates. There is, however, no arrangement to allow automatic rate increase per 1000 copies to any newspaper.

संसद सदस्यों से प्राप्त हिन्दी-पत्र

२६६. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या भ्रम तथा सेवानियोजन मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि इस वर्ष में अब तक उनको संसद सदस्यों द्वारा हिन्दी में, लिखे गये कितने पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर (१) हिन्दी में; और (२) अंग्रेजी में दिया गया ?

t [HINDI LETTERS RECEIVED FROM M.Ps.]

269. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state the number of letters in Hindi so far received by him during this year from Members of Parliament and the number out of those which were replied to (i) in Hindi and (ii) in English?

भ्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :
(१) संसद सदस्यों से प्राप्त हिन्दी पत्रों की संख्या—२७।

(२) उनमें २५ पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। अंग्रेजी में किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया गया।

t [THE DEPUTY MINISTER OF LABOUR (SHRI ARID AU):

(i)	Number	of	letters	in
	Hindi	received	from	
	Members	of	Parlia-	
	ment	..	ment	27

(ii) Number out of those which were replied to

(i) in Hindi .. 25

(ii) in English .. nil.]

परमाणु शक्ति अधिनियम का संशोधन करने को प्रस्तावना

२७०. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति अधिनियम का संशोधन करने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य से अधिनियम का संशोधन करने का विचार है ; और

(ग) पुरःस्थापित किये जाने वाले संशोधनों की रूपरेखा क्या है ?

t [PROPOSAL TO AMEND THE ATOMIC ENERGY ACT

270. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to amend the Atomic Energy Act;

(b) if so, what is the purpose for which it is proposed to amend the Act; and

(c) what are the draft amendments proposed to be introduced?]

प्रधान मंत्री तथा परमाणु शक्ति विभाग के भारसाधक (श्री जवाहरलाल नेहरू) :
(क) जी, हां।

(ख) वर्तमान परमाणु शक्ति अधिनियम १९४८ में पास हुआ था। इस समय न्यू-क्लीयर साइंस और इससे संबंधित टेक्ना-

t [] English

लाजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इन वर्षों में प्राप्त अनुभवों से अधिनियम में, विशेषकर रेडियो-सक्रिय पदार्थों के उपयोग और नियंत्रण के विषय में, केन्द्रीय सरकार को अधिकार देने की नई व्यवस्थाएँ करने की आवश्यकता हुई ।

(ग) यह सूचना इस समय देना सम्भव नहीं क्योंकि प्रारूप विवेक, चाहे अग्रिम अवस्था पर पहुँच चुका है, परन्तु अभी तक इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

[THE PRIME MINISTER AND UN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (SHRI JAWAHARLAL NEHRU): (a) Yes.

(b) The existing Atomic Energy Act was passed in 1948. The development of nuclear science and its associated technology has since made rapid strides and experience gained during these years has high-lighted the necessity for fresh provisions in the Act, in particular for provisions empowering the Central Government to make rules for the control and use of radioactive substances.

(c) As the draft Bill, though it has reached an advanced stage, has not yet been finalised, it is not possible to give this information at this stage.]

विकिरण से बचाव के सम्बन्ध में प्रशिक्षण

२७१. श्री भगवत नारायण भागवत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एटोमिक एनर्जी कमिशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विकिरण से बचाव के सम्बन्ध में बम्बई में कितने शिक्षा-

थियों को १९६० के वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया ; और

(ख) ये शिक्षार्थी किन-किन राज्यों के थे और प्रशिक्षण के बाद वे कहाँ तथा किन कामों पर नियुक्त किये गये हैं ?

[TRAINING in RADIATION PROTECTION

271. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what was the number of trainees trained in radiation protection in Bombay during the year 1960 by the Atomic Energy Commission in collaboration with the World Health Organisation; and

(b) what are the States to which the trainees belonged and where and on what jobs they have been appointed after their training?]

प्रधान मंत्री तथा परमाणु शक्ति विभाग के भारसाधक (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे द्वारा "विकिरण के लिए विकिरण के उपयोगों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं" पर १९६० में तीन पाठ्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें से ३ सप्ताह के केवल एक पाठ्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से किया गया । १४ शिक्षार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

(ख) विवरण १, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से परमाणु ऊर्जा संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले १४ शिक्षार्थियों के नाम तथा संबंधित राज्य और संस्था दी गई है, सभा के पटल पर रख दिया गया है । [विलियम परिशिष्ट ३६, अनुपत्र संख्या २६ ।] विवरण २ में उनकी सूची है, जिन्होंने स्वयं परमाणु ऊर्जा संस्थान